इंस्टीट्यटू ऑफ होम इकोनॉमि क्स (दि ल्ली वि श्ववि द्या लय) INSTITUTE OF HOME ECONOMICS (UNIVERSITY OF DELHI)

सरकारी आवास साझा न करने का वचन UNDERTAKING FOR NOT SHARING OF GOVERNMENT ACCOMMODATION

मैं वचन देता हूँ कि: 1. मैं विश्वविद्यालय/कॉलेज/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्वायत सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका/बंदरगाह ट्रस्ट आदि द्वारा अपने माता-पिता/बच्चे को आवंटित आवास साझा नहीं कर रहा हूँ। 2. मेरे पित/पत्नी को विश्वविद्यालय/कॉलेज/केन्द्र सरकार/किसी स्वायत सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका/बंदरगाह ट्रस्ट आदि द्वारा दिल्ली में कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है।

I hereby undertake that: 1. I am not sharing accommodation allotted to my parents/child by the University/college/Central Government/State Government/any autonomous Public undertaking or semi-Government organization such as Municipality/Port trust etc. 2. My Husband/Wife has not been allotted any accommodation at Delhi by the University/College/Central Government/any autonomous public undertaking or Semi- Government organization such as Municipality/Port Trust etc.

कर्मचारी का नाम / Name of Employee:
पदनाम / Designation:
विभाग / Department:
स्थायी/तदर्थ / Whether Permanent/Adhoc:
कर्मचारी का पता / Address of Employee:
यदि आवास किराये पर लिया गया है / If accommodation is hired:

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी 🛭	विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के	अनुसार सत्य और सही हैं / I certify
that all particulars furnished above are	true and correct to the b	pest of my knowledge.

तारीख / Date	कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of Employee
स्थान / Place	

विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षर / Counter signature by the Head of Department

नोट:

यदि पित/पत्नी/माता-पिता/बच्चे में से दो या अधिक विश्वविद्यालय/कॉलेज/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्वायत्त सार्वजिनक उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका/बंदरगाह ट्रस्ट आदि में कार्यरत हैं और किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित आवास साझा करते हैं। मकान किराया भत्ता उनकी पसंद के अनुसार उनमें से केवल एक को ही देय होगा।

/ Note:

In case where Husband/Wife/Parents/Children two or more of them being working in University/College/Central Government/State Government/any autonomous Public undertaking or semi-Government organization such as Municipality/Port trust etc. share accommodation allotted to another government servant. House rent allowance will be admissible to only one of them of their choice.